भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 501
जिसका उत्तर मंगलवार 19 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है

हाइब्रिड और विद्युत चालित वाहन

501. श्री गोकाराजू गंगा राजू:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत में हाइब्रिड और विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण को तेजी से अपनाने संबंधी योजना के अंतर्गत 6 माह अतिरिक्त समय प्रदान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऑटो उद्योग और सहायता की मांग कर रहा है क्योंकि विद्युत चालित कार में सबसे अधिक लागत लिथियम बैटरी पर आती है जोकि बहुत महंगी है; और

(ग) सरकार द्वारा ग्राहकों को सस्ती कीमतों पर विद्युत चालित वाहन उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग): भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम का चरण-I, जो मूलतः 31 मार्च, 2017 तक थी, को इस स्कीम के तहत माइल्ड हाइब्रिड प्रौद्योगिकी के लिए उपलब्ध लाभ को इसके दायरे से बाहर करते हुए मामूली संशोधन के साथ 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दिया गया है।

इलेक्ट्रिक कार में मुख्य रूप से लिथियम बैटरी की अत्यधिक लागत की वजह से ऑटो उद्योग आईसी इंजन वाहनों और ई-वाहनों के बीच कीमत में अंतर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मंचों और बैठकों में आर्थिक सहायता जारी रखने के मुद्दे को उठाते रहे हैं।

फेम इंडिया स्कीम के मांग सृजन फोकस क्षेत्र के अंतर्गत इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के क्रेताओं को भुगतान से पूर्व घटे हुए क्रयमूल्य के रूप में मांग प्रोत्साहन दिया जाता है। फेम इंडिया स्कीम के तहत, परियोजना कार्यान्वयन एवं स्वीकृति समिति (पीआईएससी) द्वारा प्रायोगिक परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी विकास एवं आम चार्जिंग अवसंरचना संघटकों के अधीन विशिष्ट प्रस्तावों पर भी विचार किया जाता है और निधियन के लिए उन्हें अनुमोदित किया जाता है। ये उपाय ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को किफायती बनाने की दिशा में किए जा रहे हैं।

****